

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ-7(57)जन/2017/ 15468-16012

दिनांक : 04-11-17

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक),
राजस्थान।
2. समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णाकालीन एवं पदेन),
राजस्थान।

विषय : मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट की विशेष राहत योजना के संबंध में।

प्रसंग : राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-129 दिनांक 31.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(6) वित्त/कर/2014पार्ट-129 दिनांक 31.10.2017 जारी कर कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां लम्बित/निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में, राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में एवं ऐसे लम्बित मुद्रांक प्रकरण जिनमें निर्णय से पूर्व भी स्टाम्प ड्यूटी की बकाया सम्पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है, में देय ब्याज एवं शास्ति की विशेष राहत योजना दिनांक 30.11.17 की अवधि तक बढ़ाई गई है।

अधिसूचना की प्रति पत्र के संलग्न कर निर्देश दिये जाते हैं कि निर्णय से लम्बित/निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में अधिसूचना के प्रावधान अनुसार ब्याज एवं शास्ति की छूट प्रदान करते हुए बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि जमा करने का प्रयास करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भव दी य,

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ-7(57)जन/2017/ 16013-16

दिनांक : 01-11-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर को निर्देशानुसार पृष्ठांकित कर निवेदन है कि उपरोक्त योजना की अवधि दिनांक 31.10.2017 तक जमा होने वाली बकाया राशि की सूचना वृत्त कार्यालयों से प्राप्त करने के लिये प्रारूप निर्धारित करके प्रतिदिन सूचना प्राप्त करें एवं प्रगति से प्रतिदिन महानिरीक्षक महोदय एवं वित्त(कर) विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

4. कंप्यूटर शाखा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 31-10-2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F. 2(6)FD/Tax/2014 pt.-84 dated 13.09.2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.10.2017", wherever occurring, the expression "30.11.2017" shall be substituted.

[No.F.2(6)FD/Tax/2014 pt.-129]
By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)

Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Addl. Chief Secretary, Finance Department.
6. PS to Pr. Secretary, Law Department.
7. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
8. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Additional Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
10. Guard file.


Jt. Secretary to the Government